संख्या-557/2025/2232/22-2-2024-17(480)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुलीचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-38027/प्रो0अनु0(2)-280/2024 (बैठक दिनांक 10.12.2024), दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुलीचन्द, जो म0नं0-1-बी-1069, सेक्टर-3, माधवपुरम, आवास विकास, थाना-ब्रह्मपुरी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनाक 14.09.2003 को वादी का किरायेदार विजय शराब के नशे में आने के उपरान्त वादी की पुत्री आयु ढाई वर्ष को गोद में खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार कर रहा था। पुत्री के रोने की आवाज सुनकर वादी व अन्य द्वारा विजय को पकड़ लिया गया, जो मौके पर एकत्र भीड़ तथा अंधेरे के कारण भाग गया। खून से लथपथ पुत्री को अस्पताल ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-943/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376(2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-03, मेरठ के आदेश दिनांक 27.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2016 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.12.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 02 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 04 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 09.12.2024 तक 43 वर्ष, 03 माह, 01 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक (अपराध) एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या-1958/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तार-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निधर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। (2) बंदी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ अप्रिय घटना कारित कर सकता है। (3) बंदी अग्रेतर अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। (4) बंदी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है। (5) बंदी के परिवार की आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.11.2024 को बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 14.09.2003 को वादी का किरायेदार विजय शराब के नशे में आने के उपरान्त वादी की पुत्री आयु ढाई वर्ष को गोद में खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार कर रहा था। पुत्री के रोने की आवाज सुनकर वादी व अन्य द्वारा विजय को पकड़ लिया गया, जो मौके पर एकत्र भीड़ तथा अधेरे के कारण भाग गया। खून से लथपथ पुत्री को अस्पताल ले गये। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक (अपराध) एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक अपराध तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र दुलीचन्द को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजय (बन्दी सं0-12097) पुत्र श्री दुलीचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-557/2025/2232(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।